

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 155866110919020901

Date : 11-09-2019

पत्रावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/कुश्री REKHA SINGH W/O RAMESH KUMAR ,

मोहल्ला KRISHNA NAGAR NEAR B.C.C.L TONSHIP SARAIHELDA DHANBAD DHANBAD , 7004580735
DHANBAD : 826001

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0240000009000M0 वार्ड सं. 24 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	76.00
2.	जल कर	0.00
3.	पार्कालय कर	0.00
4.	चिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षी जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		76.00



नोट:

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, www.dhanbadnagar.com पर उपलब्ध है।
2. निम्न सूची संख्या 14 के आलोक में वर्षी जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. हिदायत है कि, वर्षी जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पार्य।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
5. यदि किसी एक वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिमाउंड दी जायेगी।
6. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्वातंत्र्य त्रैमासिक तथा नगम निगम करा सकता है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर निवगावली कडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित सारित (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
8. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरती/दायों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / देखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
9. अन्तर राज्य नगम नगमों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.